अति महत्वपूर्ण

संख्या–64 /नौ–9–2016–400ज/11

प्रेषक,

श्रीप्रकाश सिंह ,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1.निदेशक,स्थानीय निकाय,उत्तर प्रदेश।
2.समस्त नगर आयुक्त,नगर निगम,उत्तर प्रदेश।
3.समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पालिका परिषद,उत्तर प्रदेश।
4.समस्त अधिशासी अधिकारी,नगर पंचायत,उ0प्र0।

नगर विकास अनुभाग–9 लखनऊ : दिनांक 9फरवरी, 2016

विषय : स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि विषयक।

महोदय,

कृपया स्थानीय निकायों की आय में वृद्धि किये जाने विषयक जारी शासनादेश संख्या–406/नौ–9–1997–95ज/96,दिनांक 10.02.1997 एवं तदनुक्रम में निर्गत संशोधित शासनादेश संख्या–1262/नौ–2001–95ज/96, दिनांक 27.04.2001 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि स्थानीय निकायों की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के उद्देश्य से उनकी स्वंय की आय में वृद्धि हेतु जारी शासनादेश संख्या–406/नौ–9–1997–95ज/96,दिनांक 10.02.1997 के प्रस्तर–6 में यह व्यवस्था दी गयी है कि विद्युत विभाग के ट्रान्सफार्मर्स और सब–स्टेशनों का किराया स्थानीय निकायों को प्राप्त नहीं हो रहा है। यद्यपि इण्डियन इलेक्ट्रिसिटी एक्ट के प्राविधानों के अनुसार विद्युत विभाग किसी भी स्थान पर विद्युत का खम्भा निःशुल्क लगाने का अधिकार रखता है, किन्तु ट्रांसफार्मर्स और सब–स्टेशनों के लिये उनको ऐसी कोई छूट अनुमन्य नहीं है। अतः यह आवश्यक है कि स्थानीय निकाय अपनी सीमा में लगे समस्त विद्युत ट्रान्सफार्मर्स और सब–स्टेशनों का उपयुक्त किराया निर्धारित करके विद्युत विभाग से वसूल करे। उक्त शासनादेश दिनांक 10.02.1997 के प्रस्तर–6 के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1262/नौ–2001–95ज/96, दिनांक 27.04.2001 द्वारा आंशिक संशोधन जारी करते हुये सम्यक् विचारोपरान्त यह निर्णय लिया गया है कि स्थानीय निकाय अपनी सीमा में लगे विद्युत विभाग के ट्रान्सफार्मरों पर किराया नहीं लगायेंगे, किन्तु निकाय सीमान्तर्गत स्थापित विद्युत सब–स्टेशनों व अन्य विद्युत उपक्रमों पर करों का अधिरोपण नगर पालिका अधिनियम–1916 की धारा–128 एवं नगर निगम अधिनियम–1959 की धारा–172 के अन्तर्गत नियमानुसार किये जायें। अतः निकाय सीमान्तर्गत स्थापित विद्युत विभाग के ट्रान्सफार्मरों पर किराया वसूल न करते हुये उपर्युक्त शासनादेश के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

कृपया उक्त आदेश का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

9/2/2016

(श्रीप्रकाश सिंह)
सचिव।

Spgo-2

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. समस्त मण्डलायुक्त,उत्तर प्रदेश।
2. समस्त जिलाधिकारी,उत्तर प्रदेश।
3. प्रमुख सचिव,वित्त,उ0प्र0शासन।
4. प्रभुख सचिव,ऊर्जा,उ0प्र0शासन।
5. प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 लखनऊ
6. प्रबन्ध निदेशक, दक्षिणान्चल, विद्युत वितरण निगम, आगरा।
7. नगर विकास विभाग के समस्त अधिकारीगण/अनुभाग।
8. गार्ड फाइल/वेबसाइट पर अपलोड हेतु।

आज्ञा से,

(सुधीर सिंह चौहान)
संयुक्त सचिव।